

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 3377/3013/2013/ई/चार,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27/10/2014

आयुक्त सह विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
कोष एवं लेखा
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने हेतु चैनल का निर्धारण।

संदर्भ:- आपकी टीप क्रमांक 2504, दिनांक 7.8.2013

-----0-----

विभाग के आदेश क्रमांक एफ 13-27/2002/ई/चार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2002 के द्वारा मध्यप्रदेश वित्त सेवा के अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली लिखने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। मध्यप्रदेश सेवा के अधिकारी अनेक विभागों में पदस्थ रहते हैं जिसके कारण गोपनीय प्रतिवेदन लिखने में आंशिक समस्याएं थी।

विभाग के वित्त सेवा अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की प्रणाली (चैनल) वर्ष 2014-15 से (अर्थात् वर्ष 2014-15 का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन जो अप्रैल 2015 के बाद लिखा जावेगा) परिशिष्ट-(ए) अनुसार निर्धारित की जाती है।

कृपया नई प्रक्रिया (चैनल) से सर्व संबंधितों को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

(श्रृंखला संगीने)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 27/10/2014

पृ.क्रं. 3378/3013/2014/ई/चार,
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की टीप क्रमांक 6451/प्र.स./सा.प्र.वि./2014, दिनांक 28.8.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश वित्त सेवा अधिकारियों (MPFS) की गोपनीय चरित्रावली लिखने का प्रस्तावित क्रम

कार्यालय	क्र.	पदनाम	प्रतिवेदन अधिकारी (प्रथम मतांकन)	प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी (द्वितीय मतांकन)	स्वीकृतकर्ता अधिकारी (अंतिम मतांकन)	प्रतिकूल टीप किस अधिकारी द्वारा संस्चित की जायेगी	कार्यालय जहां गोपनीय प्रतिवेदन रखे जायेंगे
आयुक्त कोष एवं लेखा के अधीन पदस्थ अधिकारी	1	परीवीक्षार्थीन मध्यप्रदेश वित्त सेवा अधिकारी	प्रशिक्षण शाखा में पदस्थ संयुक्त/अतिरिक्त संचालक	आयुक्त, कोष एवं लेखा	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	वित्त विभाग
			संचालनालय में पदस्थ सहायक संचालक/ उप संचालक	आयुक्त, कोष एवं लेखा	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	वित्त विभाग
	3	संचालनालय में पदस्थ संयुक्त संचालक/ अतिरिक्त संचालक	आयुक्त, कोष एवं लेखा	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	वित्त विभाग	
	4	संभागीय कार्यालय में पदस्थ संयुक्त संचालक	आयुक्त, कोष एवं लेखा	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	वित्त विभाग	
	5	संभागीय संयुक्त संचालक में पदस्थ उप संचालक/ सहायक संचालक	संभागीय संचालक	आयुक्त, कोष एवं लेखा	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	वित्त विभाग

6	लेखा प्रशिक्षण शाला में पदस्थ उप संचालक/ प्राचार्य	संभागीय संचालक	संयुक्त	आयुक्त, कोष एवं लेखा	अपर सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	वित्त विभाग
				जिला कलेक्टर	आयुक्त, कोष एवं लेखा	अपर सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग
7	कोषालय में पदस्थ वरिष्ठ कोषालय अधिकारियों/ कोषालय अधिकारी/ अतिरिक्त कोषालय अधिकारी							
1	सहायक / उप संचालक स्तर के अधिकारी (जहाँ उच्च स्तर का वित्त सेवा अधिकारी भी पदस्थ है)	विभाग में पदस्थ वित्त सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी	संबंधित विभागाध्यक्ष	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	वित्त विभाग
				संबंधित विभागाध्यक्ष	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	वित्त विभाग
2	सहायक/ उप संचालक स्तर के अधिकारी (जहाँ उच्च स्तर का वित्त सेवा अधिकारी पदस्थ न हो)							
3	संयुक्त संचालक/ अतिरिक्त संचालक	संबंधित विभागाध्यक्ष	संबंधित विभाग का	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	वित्त विभाग

विभागध्यक्ष कार्यालय के अर्थात् कार्यलयों में पदस्थ अधिकारी	1	सहायक/ उप संचालक स्तर के अधिकारी	संबंधित प्रमुख	कार्यालय	संबंधित विभागाध्यक्ष	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	वित्त विभाग
विश्वविद्यालय में पदस्थ वितीय सलाहकार	1	वितीय सलाहकार	कुलपति		संबंधित विभाग का अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	वित्त विभाग
केन्द्र शासन में/ केन्द्रीय निगम मण्डल में पदस्थ अधिकारी	1	सहायक/ उप/ संयुक्त/ अतिरिक्त संचालक स्तर के अधिकारी	संस्थान का प्रमुख		आयुक्त कोष एवं लेखा	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	वित्त विभाग

नोट :- उपरोक्त के अतिरिक्त यदि अधिकारी कहीं और पदस्थ होता है तो उसकी गोपनीय चरित्रावली लिखने के स्तरों का निर्धारण सचिव, वित्त विभाग द्वारा किया जावेगा। विभाग में जो अधिकारी वरिष्ठ है उनके द्वारा ही गोपनीय प्रतिवेदन भर मतांकन किया जावेगा।

(सुषमा शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग